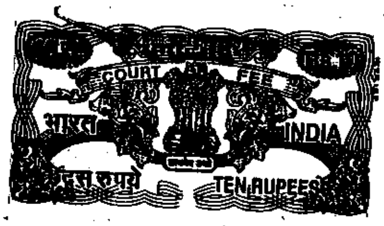

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. बेंच भोपाल

प्रकरण क्रमांक– PBR/पुनर्स्थापन/भोपाल/भू.रा./2017/3578 /निगरानी/2016–17

परमानन्द आत्मज श्री रामफूल
निवासी–ग्राम–पुराछिन्दवाड़ा, तहसील–हुजूर,
जिला–भोपाल (म0प्र0)। .... आवेदक

विरूद्ध

बृजमोहन आत्मज श्री रामफूल
निवासी–ग्राम–पुरा छिन्दवाड़ा तहसील–हुजूर,
जिला–भोपाल (म0प्र0)। .... अनावेदक

आवेदन म.प्र. भू – राजस्व संहिता की धारा 35(3) के तहत्

महोदय,

निवेदन है :–

1. यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक 27/09/2017 को सुनवाई में लेकर अदम पेरवी में खारिज कर दी गई है।
2. यह कि आवेदक सह अधिवक्ता माननीय न्यायालय में 1:15 बजे तक उपस्थित रहे, अन्य प्रकरणों में आगामी तारिख पेशी ली गई, इस निगरानी प्रकरण को भी प्रवाचक के पास देखा गया, परन्तु प्रकरण उपलब्ध नही हुआ।
3. यह कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई वाद सूची में सुनवाई हेतु आज यह प्रकरण अभिलिखित नही था। भीड़ अधिक थी इसलिए यह सोचकर कि थोड़ी देर बाद आकर इस प्रकरण को देख लेंगे।
4. यह कि माननीय न्यायालय में 2:15 बजे उपस्थित होकर जानकारी ली गई, तब ज्ञात हुआ तब यह प्रकरण सुनवाई में लेकर अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया है।
5. यह कि इस निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति जान बूझकर नही थी। न्यायालय में आवेदक सहित अधिवक्ता भी उपस्थिति रहे। इस निगरानी प्रकरण की सुनवाई बावत स्पष्ट जानकारी न होने के कारण थोड़ी देर के लिए अनुविभागीय अधिकारी हुजूर एवं आयुक्त महोदय के न्यायालय में जाने के दौरान व वापस आने के पूर्व प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो गया और उस दौरान आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पेरवी में खारिज किया गया, जो क्षमा योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदक पक्ष का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने की कृपा करें, जो न्यायाहित में होगा।

दिनांक :- 28/09/17

आवेदक
द्वारा
अधिवक्ता

PBR/पुनर्स्थापन/भोपाल/प्र.क्र./2017/3578

27.9.2017	आवेदक की ओर से श्री एम० आर० पटेल अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री सी० एम० विश्वकर्मा अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक कारण होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।
	अध्यक्ष